(71)

पत्र संख्या–14 / स्थानीयता नीति–14–03 / 2016 का0....4650..... /

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

निधि खरे,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / सभी अंचलाधिकारी
सभी अनुमण्डल पदाधिकारी / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक– 02-जून, 2016

विषयः– झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के संकल्प संख्या–3198, दिनांक–18.04.2016 के द्वारा झारखण्ड के स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान निर्धारित की जा चुकी है। झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में अनुदेश निम्नवत् है:–

(i) झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संलग्न विहित अनुलग्नक–1 प्रपत्र में केवल उसी व्यक्ति को जारी किया जायेगा जो उक्त संकल्प की कंडिका–2 की छः विभिन्न उप कंडिकाओं में से किसी एक कंडिका में उल्लिखित शर्त पूरी करता हो।

(ii) जहाँ झारखण्ड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान करना आवश्यक हो वहाँ प्रमाण पत्र निर्गत करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा झारखण्ड राज्य में निवास करने की प्रतिबद्धता रखने का प्रतिज्ञान उपलब्ध कराया गया हो। अनुलग्नक–2 (प्रतिज्ञान का प्रपत्र संलग्न है)

(iii) यह प्रमाण पत्र अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से जारी होगा जो किसी व्यक्ति के लिए जीवनकाल तक सभी कार्यों के लिए मान्य होगा।

(iv) यह प्रमाण पत्र पूर्व की भांति प्रज्ञा केन्द्रों द्वारा भी निर्गत किया जा सकता है। डिजिटल रूप में निर्गत प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के साथ–साथ उसकी हार्ड कापी प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय में संरक्षित की जायेगी।

(v) प्रमाण पत्र अनुदेश के जारी होने की तिथि से यथा विहित प्रपत्र में जारी की जायेगी।

कृ0पृ0उ0–

(vi) झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करने सम्बन्धी अनुदेश प्रभावी होने की तिथि से कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का संकल्प संख्या–2691, दिनांक–29.04.2002 एवं पत्र संख्या–4156, दिनांक–17.07.2002 पत्र निर्गत होने की तिथि से अवक्रमित समझे जायेंगे।

झारखण्ड की स्थानीय नीति हेतु संकल्प संख्या–3198, दिनांक–18.04. 2016 झारखण्ड के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र का प्रपत्र, दावे के समर्थन में घोषणा में प्रतिज्ञान का प्रपत्र, आवेदक की दावे की जाँच प्रतिवेदन हेतु चेक लिस्ट एवं झारखण्ड के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का मानक प्रपत्र की प्रति नियमानुसार कार्रवाई हेतु संलग्न है।

विश्वासभाजन,

2/6/16

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/स्थानीयता नीति–14–03/2016 का0...4550/ राँची, दिनांक–02 जून, 2016

प्रतिलिपिः– सभी विभागाध्यक्ष/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/6/16

सरकार के प्रधान सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–3198 दिनांक 18.04.2016 के अन्तर्गत "झारखण्ड को स्थानीय निवासी" प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र का प्रपत्र

(यह दो प्रतियों में आवेदक स्वहस्तलिपि में प्रस्तुत करेंगे)

1.	आवेदक का नाम तथा आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो)	:
2.	आवेदक के पिता / पति / माता का नाम	:
3.	आवेदक का स्थायी पता (स्थायी पता के प्रमाण में बिजली का बिल / टेलीफोन का बिल / एल.आई.सी. / मतदाता पहचान पत्र, इनमें से कोई एक ही स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करें)	:
4.	झारखण्ड राज्य के स्थानीय नागरिक होने का आधार (संकल्प की कंडिका–2 की जिस उप कंडिका के आधार पर आवेदक दावा प्रस्तुत कर रहा है, उस कंडिका का उल्लेख करें)	:
5.	उपर्युक्त कंडिका–4 के दावे के समर्थन में प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेख का विवरण	:
6.	आवेदक का दूरभाष संख्या / मोबाईल संख्या / ई– मेल पता (यदि उपलब्ध हो, अन्यथा लागू नहीं अंकित करें)	:

(आवेदक का हस्ताक्षर)

(नाम ....)

तिथि ....

68)

पूर्व पृष्ठ पर अपने दावे के समर्थन में आवेदक की घोषणा

जो सही हो उसे सही (√) अंकित करें :–

1.	क्या आपके माता/पिता को झारखण्ड के स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र प्राप्त है?	:	हाँ/नहीं
2.	क्या आपके माता/पिता/पूर्वजों का नाम खतियान में दर्ज है?	:	हाँ/नहीं
3.	क्या आपके माता/पिता भूमिहीन हैं?	:	हाँ/नहीं
4.	क्या आप झारखण्ड में प्रचलित भाषा, संस्कृति, परम्परा से अवगत हैं?	:	हाँ/नहीं
5.	क्या आप स्वयं अथवा आपके माता/पिता राज्य सरकार के कर्मी हैं?	:	हाँ/नहीं
6.	क्या आप स्वयं अथवा आपके माता/पिता भारत सरकार के कर्मी हैं तथा वे झारखण्ड राज्य में पदस्थापित हैं?	:	हाँ/नहीं
7.	क्या आप स्वयं अथवा आपके माता/पिता झारखण्ड राज्य में किसी संवैधानिक/विधिक (Statutory) पद पर आसीन हैं?	:	हाँ/नहीं
8.	क्या आपका जन्म झारखण्ड राज्य क्षेत्र में हुआ है?	:	हाँ/नहीं
9.	क्या आपने अपनी मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर की पूरी शिक्षा झारखण्ड स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त की है?	:	हाँ/नहीं
10	क्या आप स्वयं अथवा आपके माता/पिता विगत 30 वर्षों से झारखण्ड राज्य में निवास करते हैं और अचल सम्पत्ति अर्जित की है?	:	हाँ/नहीं

मैं एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी में सत्य है। सूचनाओं के असत्य पाये जाने पर मेरे विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

स्थल :
दिनांक :

घोषणाकर्ता का हस्ताक्षर :
आधार संख्या (वैकल्पिक) :

झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हेतु प्रतिज्ञान का प्रपत्र

मैं श्री/श्रीमती/सुश्री .... पिता/पति श्री .... पता–ग्राम/वार्ड/शहर .... पो0 .... थाना .... जिला .... का निवासी हूँ और में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–3198, दिनांक 18.04.2016 की कंडिका–2 की उप कंडिका .... में उल्लिखित शर्तों के आधार पर झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी की शर्त पूरी करता हूँ। (समर्थन में दस्तावेज की स्व सत्यापित हस्ताक्षरयुक्त की छाया प्रति संलग्न)

2. मैं एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं किसी अन्य राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र का स्थानीय निवासी नहीं हूँ और झारखण्ड राज्य में रहने के लिए प्रतिबद्ध होने का प्रतिज्ञान करता हूँ।

3. मैं यह भी प्रतिज्ञान घोषित करता/करती हूँ कि राज्य सरकार (सक्षम प्राधिकार) प्रतिज्ञान में अंकित तथ्य की जाँच में असत्य पाये जाने पर मेरे विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए सक्षम होगी।

प्रतिज्ञान घोषित करने वाले का हस्ताक्षर एवं नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
आधार संख्या (स्वैच्छिक)

आवेदक के दावों की जाँच प्रतिवेदन (कार्यालय प्रयोग हेतु)

चेक लिस्ट

(जो लागू नहीं है उसे काट दें)

1.	आवेदक या उनके माता/पिता/पूर्वज राज्य के खतियानी रैयत है।	:	हाँ/नहीं
2.	आवेदक या उनके माता/पिता/ पूर्वज भूमिहीन है।	:	हाँ/नहीं
3	आवेदक झारखण्ड के भाषा–संस्कृति परम्परा से अवगत है।	:	हाँ/नहीं
4	आवेदक स्वयं अथवा उसके माता/पिता राज्य के सरकारी सेवक हैं।	:	हाँ/नहीं
5.	आवेदक स्वयं अथवा उसके माता/पिता भारत सरकार के सेवक हैं और वे झारखण्ड राज्य में पदस्थापित हैं।	:	हाँ/नहीं
6.	आवेदक स्वयं अथवा उसके माता/पिता राज्य में किसी संवैधानिक पद पर आसीन हैं।	:	हाँ/नहीं
7.	आवेदक का जन्म झारखण्ड राज्य में हुआ है और उसने अपनी मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर की पूरी शिक्षा झारखण्ड स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त की है।	:	हाँ/नहीं
8.	आवेदक के स्वयं अथवा उसके माता/पिता झारखण्ड राज्य में विगत 30 वर्षों से रह रहे हैं और अचल सम्पत्ति अर्जित की है।	:	हाँ/नहीं
9.	समर्थन में आवेदक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की जाँच पड़ताल कर ली गई है और उसे सही पाया है	:	हाँ/नहीं
10.	आवेदन स्वीकृत किया जा सकता है।	:	हाँ/नहीं

जाँचकर्ता का हस्ताक्षर
नाम ....
पदनाम ....

प्रतिहस्ताक्षरित
अंचलाधिकारी

स्वीकृत/अस्वीकृत
अनुमण्डल पदाधिकारी

मानक प्रपत्र का प्रारूप

झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र संख्या :–

दिनांक :–

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पिता/पति श्री .... पता–ग्राम/वार्ड/शहर .... पो0... थाना .... जिला .... के स्थानीय निवासी हैं और यह प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–3198 दिनांक 18.04.201 की कंडिका –................................ में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत किया गया है। प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के स्थानीय निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान :–

दिनांक :–

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम